वादी का वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 चन्दा देवी फौत हो जाने पर दिनांक 18.05.2022 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया व चन्दा देवी के वारिसान को जरिये सम्मन तलब किया। चन्दा देवी के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से वकिल योगेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब के प्रस्तुत किया जिसे सामिल मिशल किया गया। इकबाली जवाब में चन्दा देवी के कायम मुकाम 1/2 से 1/4 ने अपना हि अपना हक प्रतिवादी संख्या 1/1 के पक्ष में जरिये तर्कनामा के त्याग किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त जो केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 की तरफ से इकबाली जवाब दावा पेश होने व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा जायल के खाता संख्या 743 प्रदर्ष–1 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी चंदा देवी के कायम मुकाम प्रतिवादीगण संख्या 1/2 से 1/4 क्रमशः सरोज, मंजु व अजुं ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 द्वारका प्रसाद के हक बंट में मौजा जायल के खेत खसरा नम्बर 717 रकबा 4.7105 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 2.35525 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ का रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

२

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

2. प्रतिवादी संख्या 1/1 हड़मान (प्रतिवादी संख्या 1 चन्दा देवी के कायम मुकाम) के हक बंट में मौजा जायल के खेत खसरा नम्बर 717 रकबा 4.7105 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 2.35525 हैक्टेयर उत्तरी तरफ का रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादीगण संख्या 1/2 से 1/4 क्रमशः सरोज, मंजु व अजुं (प्रतिवादी संख्या 1 चन्दा देवी के कायम मुकाम) के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 24.7.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner